सूचि 14 – फारम सं0 562

आदेश–पत्रक प्रथम

कार्यालय अंचल अधिकारी, डुमरी

# आदेश –पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0.................................... से .................................... तक

जिला गिरिडीह वाद सं0 02 सन् 2025-26

केस का प्रकार– विविध

| आदेश की क्रम सं० एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| .03.25<br>.07.25 | आवेदक रामलाल तुरी व दुलाल तुरी पिता स्व. रूपलाल तुरी, ग्राम - रोशनाडुण्डा थाना - निमियाघाट, जिला - गिरिडीह द्वारा आवेदन समर्पित कर बताया गया कि मौजा - रोशनाडुण्डा, खाता सं० 109 प्लॉट सं० 1591, 1592, 1597, 1600 कुल रकबा 18 डी भूमि का जमाबंदी मेरे पूर्वज एवं पिता स्व. जयलाल तुरी के नाम से पंजी II में दर्ज है एवं सन् 1952 से लेकर वर्ष 2022-23 तक लगान रसीद निर्गत है परन्तु प्लॉट सं० 1591 एवं प्लॉट सं० 1592 रकबा 07 डी भूमि पर कामेश्वर पंडित पिता स्व. धनु पंडित एवं अन्य के द्वारा ~~जबरन~~ दबंगता पूर्वक भूमि पर J.C.B द्वारा कार्य किया जा रहा है। इन्होंने उक्त खाता, प्लॉट की जमीन का सत्यापन एवं सरकारी अमीन द्वारा उक्त प्लॉट का मापी कर न्यायोचित फैसला करने हेतु अनुरोध किया है।<br>प्राप्त आवेदन के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक को रखें।<br>(हस्ताक्षर) 01.07.25<br>अंचल अधिकारी<br>डुमरी | |
| .7.25 | अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त एवं संलग्न। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा रोशनाडुण्डा थाना सं० 127 खाता सं० 109 प्लॉट सं० 1591, 1592 कुल रकबा 07 डी से संबंधित है। सर्वे खतियान सुकरा तुरी वल्द फिरगा तुरी के नाम पर दर्ज है। खतियान के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि खाता सं० 109 की कुल भूमि ~~बे~~ बेलगान है रैयत को केवल नौकराना वास्ते जोतने के लिए मिला था। लगान पाने वाला का नाम बिहारी महतो वगैरह दर्ज है।<br>प्रथम पक्ष (रामलाल तुरी) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से ज्ञात हुआ कि इनके पिता - स्व. राम रूपलाल तुरी के नाम से खाता सं० 109 में कुल रकबा 18 डी भूमि की जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं० 137/2 पर दर्ज है एवं वर्ष 2022-23 तक लगान रसीद निर्गत है। विदित होगी खतियानी रैयत सुकरा तुरी वल्द ये आवेदक का खतियानी रैयत के वंशज नहीं है। आवेदक के पिता (रूपलाल तुरी) के नाम से जमाबंदी किस आधार पर की गयी है, इसके संबंध में इनके पास | |

कोई कागजात नहीं है। मूल रैयत के नाम से पंजी II में जमाबंदी दर्ज नहीं है चूंकि यह भूमि बेलगान थी। इनके द्वारा किस आधार पर एवं किस जमाबंदी से भूमि घटावार पंजी II में दर्ज किया गया। इनके पास दाखिल-खारिज से संबंधित कोई आधार नहीं है, और ना ही पंजी 2 में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त है।

द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजात से ज्ञात हुआ कि मौजा रोशनाडुमरा खाता सं 109 प्लॉट सं 1591 एवं 1592 कुल रकवा 7 डी भूमि को भिन्न - भिन्न केवाला द्वारा प्राप्त है। चूंकि इस खाते में मूल रैयत के नाम से जमाबंदी दर्ज नहीं है। इसलिए इनके द्वारा क्रय की गयी भूमि का दाखिल - खारिज नहीं हुआ है। इनके द्वारा विक्रेता (बैजनाथ साव) के पूर्व का बंटवारानामा दिखाया गया जिसमें स्पष्ट है कि उक्त भूमि 07 डी बैजनाथ साव एवं राम प्रसाद साव को प्राप्त था। स्थल जाँच में पाया कि प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष (सेवाती देवी) एवं उनके परिवार का दखल- कब्जा खरीदगी समय से ही रहा है। उक्त प्लॉट के अंश भाग में द्वितीय पक्ष का मकान भी बना हुआ है। भूमि के चारो तरफ चाहरदिवारी दिया हुआ है, जिसमें प्रथम पक्ष द्वारा दीवार तोड़ा जा रहा था जिसमे विवाद उत्पन्न हुआ। तत्काल प्रभाव से उभय पक्षों को शांति बनाये रखने हेतु कहा गया है।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक को रखें।

15.07.25
अंचल अधिकारी
डुमरी

1.08.2025 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित एवं हाजिरी दाखिल। अधोहस्ताक्षरी विधि कार्य से बाहर। सुनवाई स्थगित। वाद दिनांक 1-9-25 को रखें।

21.08.25
अंचल अधिकारी
डुमरी

.9-25 अभि- उपस्थापित उभय पक्ष अनु। ~~अभि- दि-~~ नोटिस निर्गत करें। अभि- दिनांक 4-11-25 को रखें।

01.09.25
अं० अ०

11-25 अभि- उपस्थापित। उभय पक्ष हैं ~~[illegible]~~ उपस्थिति दोनों उभय पक्ष को सुना। आदेश पर रखें अभिलेख दिनांक 12-12-25 को उपस्थापित। करें।

04.11.25

अंचल अधिकारी
डुमरी।

# कार्यालय अंचल अधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

## विविध वाद सं0-02/2025-26

प्रथम पक्ष :- रामलाल तुरी, हुलास तुरी एवं दौलत तुरी

बनाम्

द्वितीय पक्ष :- रेशमी देवी पति कामेश्वर पंडित

| आदेश की तिथि | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तारीख सहित |
|---|---|---|
| 12-12-25 | आवेदक रामलाल तुरी, व हुलास तुरी, पिता स्व0 रूपलाल तुरी ग्राम रोशनाटुण्डा, थाना निमियांघाट, जिला गिरिडीह द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते हुए सूचित किया गया कि मौजा रोशनाटुण्डा, खाता सं0-109, प्लॉट सं0-1591, 1592, 1597, 1600 कुल रकवा 18 डी0 भूमि की जमाबंदी रूपलाल तुरी के नाम से कायम है एवं अधतन लगान रसीद निर्गत हो रहा है। कुछ समय से विपक्षी कामेश्वर पंडित एवं धनु पंडित द्वारा घर एवं अन्य निर्माण कार्य बल पूर्वक कराया जा रहा है जिसे रोकवाने एवं मापी कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वादगत भूमि मौजा रोशनाटुण्डा, थाना नं0-127, खाता सं0-109, प्लॉट सं0-1591, 1592 कुल रकवा 7 डी0 से संबंधित है। सर्वे खतियान सुकरा तुरी वल्द किरपा तुरी के नाम से बेलगान दर्ज है। रैयत को केवल नौकराना वास्ते जोतने के लिए मिला था। लगान पाने वाला का नाम बिहारी महतो वगैरह दर्ज है। प्रथम पक्ष रामलाल तुरी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में पिता स्व0 रूपलाल तुरी के नाम से खाता सं0-109, कुल रकवा 18 डी0 भूमि की जमाबंदी पंजी-।। के पृष्ठ सं0-137/2 पर दर्ज है। वर्ष 2022-23 तक लगान रसीद निर्गत है। चुकि खतियानी रैयत सुकरा तुरी नावल्द थे एवं आवेदक खतियानी रैयत के वंशज नहीं है। आवेदन के पिता रूपलाल तुरी के नाम से जमाबंदी पंजी-।। मे किस आधार पर कायम की गई है इसके संबंध में आवेदक प्रथम पक्ष के पास किसी प्रकार का कागजात नहीं है। मूल रैयत के नाम से पंजी-।। में जमाबंदी दर्ज नहीं है। चुकि यह भूमि बेलगान थी। इनके द्वारा किस आधार पर एवं किस जमाबंदी से घटाकर पंजी-।। में दर्ज किया गया इसका उल्लेख भी पंजी-।। के प्राधिकार कॉलम में दर्ज नहीं है। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कागजात के अनुसार वादगत भूमि दो भिन्न-भिन्न केवाला द्वारा प्राप्त है। इस खाते में मूल रैयत के नाम से जमाबंदी दर्ज नहीं है। इसलिए इनके द्वारा कय की गई भूमि | |

का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। इनके द्वारा विकेता (बैद्यनाथ साव) के पूर्व का बटवारानामा दिखाया गया। उक्त भूमि 7 डी0 बैजनाथ साव एवं रामप्रसाद साव को प्राप्त था। वादगत भूमि पर विपक्षी रेशमी देवी एवं उनके परिवार का दखल कब्जा खरीदगी समय से ही रहा है। उक्त प्लॉट के अंश भाग में द्वितीय पक्ष का माकन भी बना हुआ है। भूमि के चारो तरफ चहारदिवारी दिया हुआ है, जिसे प्रथम पक्ष द्वारा तोड़ा जा रहा था जिसे विवाद उत्पन्न हुआ।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्ष को नोटिस निर्गत की गई जिसमें टंकक भूलवश नोटिस के कम में आवेदक को विपक्षी एवं विपक्षी को प्रथम पक्ष टंकित कर दिया गया है। निर्गत नोटिस के अनुसार प्रथम पक्ष रेशमी देवी पति कामेश्वर पंडित साकिन रोशनाटुण्डा को विपक्षी एवं द्वितीय पक्ष रामलाल तुरी, हुलास तुरी पिता रूपलाल तुरी एवं दौलत तुरी पिता चुरामन तुरी प्रथम पक्ष है।

प्रथम पक्ष रामलाल तुरी, हुलास तुरी एवं दौलत तुरी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया कि मौजा रोशनाटुण्डा, खाता सं0–109 रैयती खाते की भूमि है एवं उनसे उनके पिता रूपलाल तुरी को हांसिल है जिसके अनुसार पंजी–।। के पृष्ठ सं0–137/।। पर रूपलाल तुरी के नाम से कुल रकवा 18 डी0 भूमि की जमाबंदी कायम है एवं अधतन लगान रसीद निर्गत हो रहा है। कुछ समय से विपक्षी कामेश्वर पंडित एवं धनु पंडित द्वारा घर एवं अन्य निर्माण कार्य बल पूर्वक बिना किसी ठोस आधार एवं दस्तावेज के किया जा रहा है, जिसे रोकने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी रेशमी देवी पति कामेश्वर पंडित के द्वारा तर्क दिया गया कि विपक्षी ने वादगत भूमि निबंधित केवाला सं0–1534 दिनांक 05.10.2010 द्वारा विकेता रामलाल पाण्डेय पिता स्व0 भैरो पाण्डेय से मौजा रोशनाटुण्डा, खाता सं0–109, 111 अंतर्गत प्लॉट सं0–1591 रकवा 3डी0 प्लॉट सं0–1592 रकवा 1 डी0 एवं प्लॉट सं0–1594 रकवा 9 डी0 कुल 13 डी0 भूमि हांसिल की है एवं दूसरा निबंधित केवाला सं0–580 दिनांक 06.06.2006 द्वारा विकेता बैजनाथ प्रसाद पिता स्व0 बिहारी साव से खाता सं0–109 एवं 111 अंतर्गत प्लॉट सं0–1591 रकवा 5 डी0, प्लॉट सं0–1592 रकवा 2 डी0 1593 रकवा 1 डी0 एवं 1594 रकवा 17 डी0 कुल 12 डी0 भूमि हांसिल की है। जिसपर विपक्षीगण खरिदगी उपरान्त से ही दखलकार है जिसकी पुष्टी राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा अपने प्रतिवेदन में भी की गई है। चुकि भूमि बेलगान रहने के कारण विपक्षीगण द्वारा अबतक दाखिल खारिज नहीं कराया जा सका है। इसी कम में प्रथम पक्ष के द्वारा फर्जी रूप से पंजी–।। में जमाबंदी चढा लिया गया है। चुकि खतियानी रैयत नावल्द फौत कर गये एवं वादगत भूमि बेलगान है तो प्रथम पक्ष के द्वारा किस प्रकार हांसिल की गई दावा के संबंध में ना ही राजस्व उप निरीक्षक को दस्तावेज उपलब्ध कराया गया एव ना ही अंचल कार्यालय में उपलब्ध कराया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष द्वारा फर्जी रूप से जमाबंदी चढवाया गया है,जो रद्द किये जाने योग्य है, जिसे रद्द किये जाने का अनुरोध

किया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन, अभिलेख में संचित दस्तावेज की छायाप्रति एवं उभय पक्ष के द्वारा दिये गये तर्क को सूनने के बाद स्पष्ट है कि उभय पक्ष के द्वारा मौजा रोशनाटुण्डा, थाना नं0-127, खाता सं0-109, प्लॉट सं0-1591, 1592 कुल रकवा 7 डी0 भूमि पर दावा को लेकर विवाद है। वादगत भूमि के मौजा रोशनाटुण्डा, थाना नं0-127, खाता सं0-109 के खतियानी रैयत सुकरा तुरी वल्द किरपा तुरी नावल्द फौत कर गये एवं ना ही उनके नाम पंजी-।। में जमाबंदी कायम है तो किस प्रकार प्रथम पक्ष के पिता रूपलाल तुरी के नाम पंजी-।। के पृष्ठ सं0-137/।। पर रकवा 18 डी0 भूमि की जमाबंदी कायम की गई, जिसका उल्लेख पंजी-।। के प्राधिकार के कॉलम में उल्लेख नहीं है एवं ना ही सक्षम पदाधिकारी का आदेश/निर्देश दर्ज है। प्रथम पक्ष दावा के संबंध में मात्र लगान रसीद की एक ऑनलाईन प्रति प्रस्तुत किये है जिसके अतिरिक्त उनके पास दावा के संबंध में कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष के पिता रूपलाल तुरी के नाम गलत ढंग से बिना प्रमाणिक राजस्व दस्तावेज के जमाबंदी कायम करा ली गई है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं उपरोक्त वर्णित विवेचन के आधार पर प्रथम पक्ष के पिता रूपलाल तुरी के नाम से बिना प्रमाणिक दस्तावेज के पंजी-।। के पृष्ठ सं0-137/।। पर कायम जमाबंदी को रद्द किये जाने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डुमरी को भेजी जाय।

लेखापित।

लेखापित एवं संशोधित।

12.12.25

अंचल अधिकारी,
डुमरी।

12.12.25

अंचल अधिकारी,
डुमरी।

Digitally signed by Shashi Bhushan Verma
Date: 2025.12.22 11:54:43 +05:30
Location: 192.168.101.5